बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, (कोटि क्रमांक–210 / 2024), प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मंसुरचक–सह–अतिरिक्त प्रभार भगवानपुर, बेगूसराय के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक–699 दिनांक–22.04.2026 द्वारा निगरानी थाना काण्ड संख्या–039 / 2026 दिनांक–01.04.2026, धारा–7(a)/7(c)/12 भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) एवं BNS की धारा–61(2) दर्ज किये जाने की सूचना उपलब्ध करायी गयी है। उक्त के क्रम में प्रतिवेदित किया गया है कि निगरानी धावा–दल द्वारा दिनांक–02.04.2026 को श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह को परिवादी श्री पप्पू पासवान, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, तकिया (अनुज्ञप्ति संख्या–59 / 2016) से 12,000 / – (बारह हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी, भागलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से आदेशानुसार उन्हें न्यायिक हिरासत में केन्द्रीय कारा, भागलपुर में भेजा गया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना से प्राप्त उक्त सूचना एवं श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोप के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–9(1)(क)(ग) एवं 9(2)(क) में वर्णित प्रावधानों के तहत श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह (कोटि क्रमांक–210 / 2024) को कारा–निरोध की तिथि यथा–02.04.2026 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।

2. कारागार से रिहा होने के पश्चात् निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया रहेगा।

3. निलंबन अवधि में श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 में वर्णित प्रावधानों के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

1/6/2026

(उपेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(बेगूसराय)–09 / 2026 2699 / खाद्य, पटना / दिनांक 01.06.2026

प्रतिलिपि–1. प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया / प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, निगरानी विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–699 दिनांक–22.04.2026 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया से अनुरोध है कि श्री सिंह के कारागार से रिहा होने के उपरान्त उनके द्वारा निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय में योगदान किये जाने से संबंधित प्रतिवेदन से विभाग को अवगत कराने की कृपा करेंगे।

5. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बेगूसराय / अनुमंडल पदाधिकारी, तेघड़ा, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. अवर सचिव, प्रशाखा–03 एवं आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7. श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, (कोटि क्रमांक–210 / 2024), प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मंसुरचक–सह–अतिरिक्त प्रभार भगवानपुर, बेगूसराय सम्प्रति निलंबित, मोबाईल संख्या–9113152627, E-mail : s.k.shilendra123@gmail.com (कारागार से रिहा होने के पश्चात् निलंबन अवधि में मुख्यालय–प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/6/2026

सरकार के विशेष सचिव।

D:\2025\Suspension Order\Shailendra Kr. Singh.doc